an>

Title: Need to waive the loans of farmers whose crops have been destroyed due to floods caused by breach inKusata dam in Bihar.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आंगनवाड़ी केन्द्र की चर्चा आपके माध्यम से करना चाहती हूं। उनकी जो सेविकाएं होती हैं, उनके मानदेय को वेतनमान करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मैं यही प्वाइंट उठाना चाहती थी लेकिन बजट में बोलने का मुझे समय नहीं मिला था। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो सेविकाएं होती हैं, उनको मात्र 14508 रुपये 40 बच्चों के पौष्टिक आहार के लिए मिलते हैं ताकि वे कुपोषण से बचे रहें। उनको मात्र 3000 रुपये महीना मानदेय मिलता है जिसके तहत उनको बच्चों को कु-पोषण से बचाते हुए न सिर्फ अच्छा राशन ही देना होता है बल्कि सूखा राशन भी उन्हें गर्भवती महिलाओं को महीने में एक बार देना होता है। उसके बाद उनको 22 रजिस्टर मेनटेन करने होते हैं। जन्म-मृत्यु का भी पंजीकरण वे ही करती हैं। उनकी ड्यूटी परीक्षाओं एवं चुनाव में भी लगती है लेकिन उनको कोई भत्ता या सम्मान कुछ नहीं दिया जाता है। यदि एक सेविका की तनख्वाह मात्र 3000 रुपये महीना होगी और जो 14508 रुपये में उसको तीस दिन चालीस बच्चों को खिलाना होता है और उसमें एक एल.एस. भी रख दिया गया है जो महीने में तीन चार दिन आकर निरीक्षण भी करता है, माननीय अध्यक्ष जी, यह बात आपसे भी छिपी हुई नहीं है कि आंगनवाड़ी केन्द्र में कितना भ्रष्टाचार है। वे सरेआम कहती हैं कि हमें एल.एस. को भी देना है, ऊपर भी पहुंचाना है और उन चालीस बच्चों को भी हमें कु-पोषण से बचाते हुए हैल्दी राशन देना है ताकि वे स्वस्थ रहें तो यह बात सोचने योग्य है कि वे सेविकाएं मात्र 3000 रुपये महीने में अपने आपको और बच्चों को क्या स्वस्थ कर पाएंगी? इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि एक तो उनके मानदेय को वेतनमान किया जाए और कम से कम उनकी तनख्वाह को 9000 रुपये उनके सम्मान को देखते हुए किया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री शंकर प्रसाद दत्ता,

श्री धनंजय महाडीक,

श्री डी.के.सुरेश,

श्री एस.पी,मुद्दाहनुमे गौड़ा,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर और

एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।